रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 567] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 27, 2017/फाल्गुन 8, 1938
No. 567] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 27, 2017/PHALGUNA 8, 1938

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

(अनुसंधान और विकास प्रभाग, पीपी-विंग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2017

का.आ. 633(अ).—सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति से उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार से किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता समाप्त करता है;

और, भारत सरकार का जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय सेक्टर स्कीम, अर्थात **जल सेक्टर में अनुसंधान और विकास कार्यक्रम** (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) का प्रशासन कर रहा है और ऐसे कनिष्ठ अध्येता, ज्येष्ठ अध्येता, अनुसंधान सहकारी और अन्य कर्मचारीवृंद को, जिन्हें अनुसंधान परियोजनाओं के अधीन भाड़े पर लिया गया है (जिन्हें इसमें इसके पश्चात फायदाग्राही कहा गया है) अध्येतावृत्ति और पारिश्रमिक (जिसे इसमें इसके पश्चात प्रसुविधा कहा गया है) का संदाय किया जाता है;

और, यह प्रसुविधा विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, मान्यताप्राप्त अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के जल संसाधन या सिंचाई विभागों और गैर-सरकारी संगठनों में के शिक्षाविदों या विशेषज्ञों (अन्वेषक) को अनुदान के रूप में दी जाती है;

और, स्कीम के अधीन अध्येतावृत्ति और पारिश्रमिक या अनुदान के रूप में प्रसुविधा में भारत की संचित निधि से आवर्ती व्यय अन्तर्वलित है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है अर्थातः-

1. (1) स्कीम के अधीनप्रसुविधाएं प्राप्त करने वाले किसी पात्र व्यक्ति से उसके पास आधार संख्यांक होने का प्रमाण प्रस्तुत करनेया आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करने की अपेक्षा होगी।

(2) स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के हकदार ऐसे सभी पात्र फायदाग्राहियों से, जिनके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिन्होंने अभी आधार के लिए नामांकन नहीं करवाया है, किन्तु स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं का उपभोग करने के इच्छुक हैं, 31 मार्च, 2017 तक आधार नामांकन के लिए आवदेन करने की अपेक्षा होगी परन्तु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार हो और ऐसे व्यक्तियों को आधार के लिए नामांकन हेतु किसी आधार नामांकन केन्द्र (www.uidai.gov.in पर सूची उपलब्ध) जाना होगा।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के नियम 12 के अनुसार मंत्रालय या राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में स्कीम कार्यान्वयन का प्रभारीऐसा संबंधित विभाग से, जो किसी व्यक्ति से आधार प्रस्तुत करने की अपेक्षा करता है, अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से ऐसे फायदाग्राहियों के लिए, कराएगा जिन्होंने आधार के लिए अभी नामांकन नहीं कराया है आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराने की अपेक्षा होगी और यदि संबंधित ब्लाक या तालुका अथवा तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र स्थित नहीं है तो मंत्रालय या राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में का स्कीम के कार्यान्वयन के प्रभारी विभाग को अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के विद्यमान रजिस्ट्रार के साथ समन्वय करके अथवा यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुगम स्थानों पर आधार नामांकन सुविधा उपलब्ध कराने की अपेक्षा होगीः

परन्तु फायदा ग्राहियों का आधार नियत किए जाने तक स्कीम के अधीन ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करने के अधीन रखते हुए प्रसुविधा दी जाएगी अर्थातः-

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची; अथवा

(ii) पैरा 2 के उप-पैरा (2) में यथा विनिर्दिष्ट आधार नामांकन हेतु उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति; और

(ख) (i) बैंक पासबुक फोटो सहित;या (ii) मतदाता पहचान कार्ड;या (iii) राशन कार्ड; या (iv) स्थायी खाता संख्यांक (पैन) कार्ड; या (v) पासपोर्ट; या (vi) मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारीचालन अनुज्ञप्ति;या (vii) किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा उसके शासकीय पत्र पर फोटो सहित जारी ऐसे व्यक्ति की पहचान का प्रमाणपत्र;या (viii) किसान फोटो पासबुक; या (ix) संबंधित मंत्रालय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेजः

परन्तु और कि उपर्युक्त दस्तावेजों की जांच, मंत्रालय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में के स्कीम के कार्यान्वयन प्रभारी संबंधित विभाग द्वारा इस प्रयोजनार्थ अभिहित अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध प्रसुविधा देने के लिए मंत्रालय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में का स्कीम के कार्यान्वयन का प्रभारी संबंधित विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से सभी अपेक्षित व्यवस्था करेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी है अर्थातः-

(1) स्कीम के अधीन आधार की आवश्यकता के बारे में फायदाग्राहियों को जागरूक बनाने हेतु मीडिया और व्यक्तिगत सूचना के माध्यम से व्यापक प्रचार और यदि उन्होंने पहले नामांकन नहीं करवाया है तो उन्हें 31

मार्च, 2017 तक उनके क्षेत्र में उपलब्ध निकटतम आधार नामांकन केन्द्र में नामांकन कराने की सलाह दी जा सकेगी तथा उन्हें स्थानीय तौर पर उपलब्ध नामांकन केन्द्रों (www.uidai.gov.in) की सूची उपलब्ध करायी जाएगी।

(2) यदि समीपी क्षेत्र अर्थात्ब्लाकया तालुका या तहसील में नामांकन केन्द्र उपलब्ध न होने के कारण स्कीम के अधीन फायदाग्राही आधार नामांकन कराने में समर्थ नहीं हैं तो स्कीम के कार्यान्वयन का प्रभारी संबंधित विभाग से, उसके कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधा का सृजन करने की अपेक्षा होगी और फायदाग्राहियों से अनुरोध किया जा सकता है कि वे अपना नाम, पता, मोबाइल नं. तथा पैरा 1 के उप-पैरा (3) के पहले परंतुक में यथा विनिर्दिष्ट अन्य ब्यौरे देकर संबंधित विभाग या उसके कार्यान्वयन अभिकरण अथवा इस उद्देश्य के लिए उपलब्ध कराए गए वेब पोर्टल के माध्यम से आधार नामांकन के लिए अपना आवेदन रजिस्ट्रीकृत कराएं।

3. यह अधिसूचना राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से, असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रभावी होगी।

[फा. सं. 10/18/2016-आर एण्ड डी/315-317]

संजय कुंडू, संयुक्त सचिव (पीपी)

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

(Research and Development Division, PP-Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd February, 2017

S.O. 633(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And, whereas, the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation in the Government of India is administering the Central Sector Scheme namely, **Research and Development Programme in Water Sector** (hereinafter referred to as the Scheme) and fellowship and remuneration (hereinafter referred to as the benefit) are paid to Junior Research Fellow, Senior Research Fellow, Research Associate and other staff who are hired (hereinafter referred to as beneficiaries) under the research projects;

And, whereas, the benefit is provided by way of grants to academicians or experts (investigators) in the Universities, IITs, recognised Research and Development laboratories, Water Resources or Irrigation Departments of the Central and State Governments and Non Government Organisations;

And, whereas, the benefits in the form of fellowship and remuneration or grants under the Scheme involves recurring expenditure from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) An Individual eligible to receive the benefits under the Scheme shall be required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) All such eligible beneficiaries entitled to receive benefits under the Scheme, who do not possess the Aadhaar Number or, are not yet enrolled for Aadhaar, but desirous of availing benefits under the Scheme shall be required to make application for Aadhaar enrolment by 31st March, 2017, provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the concerned Department through its implementing agency, in charge of implementation of the Scheme in the Ministry or State Government or Union territory administration, which requires an Individual to furnish Aadhaar is required to

offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department in charge of implementation of Scheme in the Ministry or State Government or Union territory Administration through its implementing agency is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India (UIDAI) or by becoming UIDAI Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the beneficiaries, benefit under the Scheme shall be given to such Individual subject to the production of the following identification documents, namely:–

(a) (i) if she or he has enrolled, her or his Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of her or his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2; and

(b) (i) Bank Passbook with photograph; or (ii) Voter Identity Card; or (iii) Ration Card; or (iv) Permanent Account Number (PAN) Card; or (v) Passport; or (vi) Driving License issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (vii) Certificate of Identity having photo of such member issued by a Gazetted Officer on an official letter head; or (viii) Kisan Photo Passbook; or (ix) any other documents specified by the concerned Ministry or State Government or Union territory Administration:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer designated by the concerned Department in charge of implementation of the Scheme in the Ministry or State Government or Union territory administration for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits under the Scheme to the beneficiaries, the concerned Department in charge of implementation of the Scheme in the Ministry or State Government or Union territory Administration through it implementation agency shall make all the required arrangements including the following, namely:-

(1) wide publicity through media and individual notices shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by 31st March, 2017, in case they are not already enrolled and the list of locally available enrolment centres (list available of www.uidai.gov.in) shall be made available to them.

(2) in case, the beneficiaries under the Scheme are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of enrolment centres in the near vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the concerned Department in charge of implementation of the Scheme through its implementation agencies, etc., is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries can be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, address, mobile number and other details as specified in the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the concerned Department or its implementation agency or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. 10/18/2016-R&D/315-317]

SANJAY KUNDU, Jt. Secy. (PP)

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.03.01 16:18:52 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.